

प्रपत्र-2.1

भाग- ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान **रानीप्रदेश - कोडी - शुजान पार्मेंग चैम्पल मैला
रानीप्रदेश / शुजान से कोडीवटीय गढ़ियाहोही**
- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - **उत्तराखण्ड**
 - ii) जिला - **अल्मोड़ा**
 - iii) वन प्रभाग - **अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**
 - iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) **1.25 हेक्टेयर**
 - v) वन की कानूनी स्थिति **आरक्षित, वन पंचायत, निविन झोकम**
 - vi) हरियाली का घनत्व
 - vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आरएल0 - 8 मी0 पर **आवश्यकनहीं**, परिणामना भी संलग्न किए जाए
 - viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर रांकित टिप्पणी। **वृक्ष प्रभावित नहीं है,** भूक्षरण की सम्भावना नहीं है,
 - ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी **दूरी**
 - x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, क्या जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)
 - xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। **नहीं,**
 - xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/ पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या **नहीं,** **नहीं,** **नहीं,**
- 8- प्रयोक्ता एजेन्टी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/ नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण रकीम का ब्लौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन रीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण रकीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढावा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण रकीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सकाम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित विद्या जाए)।

11- जिला वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल
जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

- i. जिला का वन क्षेत्र।
 - ii. मासलों की संख्या सहित 1980 से 1308.49 11 11 1 वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
 - iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
(ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
(क) वन भूमि पर
(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को रखीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक: 08/01/2021

स्थान: अल्मोड़ा

प्रियमानसार आवश्यक नहीं है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

3689.30 रुपि किमी०

संस्कृति के साथ ही हाते हुए छुट्टारित,

Mukesh
मुकेश चन्द्रधिकारी
नाम: चन्द्रधिकारी
संस्कृति के साथ ही हाते हुए छुट्टारित,

सरकारी मोहर

(S)